

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 368/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 20.09.2026

थाना-गम्भीरपुर, जनपद-आजमगढ़

साइबर फ्रॉड में त्वरित कार्रवाई कर ₹4,306.73/- की धनराशि पीड़िता के खाते में करायी गयी वापस ₹55,000/- की साइबर ठगी में ₹39,584.75/- करायी गयी फ्रीज, शेष धनराशि वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर फ्रॉड की धनराशि वापस कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड की धनराशि में से ₹4,306.73/- पीड़िता के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का विवरण-

थाना गम्भीरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुडहर निवासी आवेदिका संगीता पत्नी हरीहर मौर्या के पंजाब नेशनल बैंक खाते से फोन-पे के माध्यम से ₹55,000/- का साइबर फ्रॉड हो गया था। जानकारी होने पर आवेदिका द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं० 1930 पर शिकायत सं० 33109250129070 पंजीकृत करायी गयी।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में साइबर टीम गम्भीरपुर द्वारा शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी धनराशि में से ₹39,584.75/- फ्रॉडस्टर के खाते में फ्रीज करायी गयी। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए फ्रीज धनराशि में से ₹4,306.73/- MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के खाते में वापस करायी गयी है। शेष फ्रीज धनराशि को वापस कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

साइबर टीम थाना गम्भीरपुर-

थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, उ०नि० विपिन कुमार द्विवेदी, रि०म०का० आकांक्षा सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद-आजमगढ़।

साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायें।

थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ़

थाना रौनापार; घर में ताला तोड़कर गेहूँ चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

रौनापार पुलिस ने चोरी की घटना का किया सफल अनावरण, 04 कुन्तल 35 किग्रा० गेहूँ व ₹250/- नगद बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में थाना रौनापार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण/इतिहास-

वादी स्वामीनाथ दूबे पुत्र स्व० रामदेव दूबे निवासी ग्राम आराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि दिनांक 07.09.2026 की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर 20 कुन्तल गेहूँ, 02 कुन्तल सरसों, बर्तन एवं टिल्लू पम्प चोरी कर लिया गया। सूचना के आधार पर थाना रौनापार पर मु०अ०सं० 269/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्तगण जनार्दन साहनी, आदित्य साहनी एवं सुरेन्द्र का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 20.09.2026 को उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जनार्दन साहनी पुत्र जंगी साहनी निवासी देवारा गरीब दूबे (अचल नगर) थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को आराजी अजगरा मगर्वी स्थित सोनू की मड़ई के पास से समय करीब 08:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 269/2026 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

04 कुन्तल 35 किग्रा0 चोरी का गेहूँ एवं ₹250/- नगद।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जनार्दन साहनी पुत्र जंगी साहनी निवासी देवारा गरीब दूबे (अचल नगर) थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा, रि0का0 विकास कुमार, का0 श्रीप्रकाश पाण्डेय, रि0का0 रामप्रकाश कुशवाहा, थाना रौनापार, आजमगढ़।

थाना-कन्धरापुर, जनपद-आजमगढ़

साइबर फ्रॉड की ₹21,000/- धनराशि पीड़ित के खाते में करायी गयी वापस

₹99,000/- की साइबर ठगी में त्वरित कार्रवाई, ₹67,574/- धनराशि फ्रॉडस्टर के खाते में करायी गयी होल्ड

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड की धनराशि वापस कराने में सफलता प्राप्त की गयी है।

घटना का विवरण-

दिनांक 02.11.2025 को आवेदक प्रदीप यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी कपसा थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ के यूपी ग्रामीण बैंक खाते से कुल ₹99,000/- की साइबर धोखाधड़ी की गयी थी। आवेदक द्वारा तत्काल साइबर अपराध की सूचना देकर शिकायत सं0 33111250153300 पंजीकृत करायी गयी। NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्रॉड की गयी धनराशि में से ₹67,574/- फ्रॉडस्टर के खाते में होल्ड करायी गयी।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य के निर्देशन में साइबर टीम कन्धरापुर द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए होल्ड करायी गयी धनराशि में से ₹21,000/- आवेदक के खाते में वापस करायी गयी। धनराशि वापस मिलने पर आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम थाना कन्धरापुर-

प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य, उ0नि0 प्रमोद मद्देशिया, का0 प्रमोद यादव थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत करें अथवा

www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायें।

थाना-कन्धरापुर, जनपद-आजमगढ़

साइबर फ्रॉड की ₹1,14,460/- धनराशि पीड़ित के खाते में करायी गयी वापस

₹1,14,460/- की साइबर ठगी की पूरी धनराशि करायी गयी होल्ड, त्वरित कार्यवाही से पीड़ित को मिली पूरी रकम वापस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड की सम्पूर्ण धनराशि वापस कराने में सफलता प्राप्त की गयी है।

घटना का विवरण-

दिनांक 13.03.2026 को आवेदक राजेश मौर्य पुत्र श्रीराम निवासी आजमपुर थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ के बैंक ऑफ इण्डिया खाते से ₹1,14,460/- की साइबर धोखाधड़ी की गयी थी। आवेदक द्वारा तत्काल साइबर अपराध की सूचना देकर दिनांक 13.03.2026 को शिकायत सं० 23111250174322 पंजीकृत करायी गयी। NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्रॉड की गयी सम्पूर्ण ₹1,14,460/- धनराशि फ्रॉडस्टर के खाते में होल्ड करायी गयी।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य के निर्देशन में साइबर टीम कन्धरापुर द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए होल्ड करायी गयी सम्पूर्ण ₹1,14,460/- धनराशि आवेदक के खाते में वापस करायी गयी। धनराशि वापस मिलने पर आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम थाना कन्धरापुर-

1. प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य
2. उ०नि० प्रमोद मद्धेशिया
3. का० प्रमोद यादव

साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं० 1930 पर शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायें।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 20.09.2026 | जनपद- आजमगढ़

☐ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही

☐ जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा कुल 09 वारंटियों को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में मा० न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में दिनांक *20.09.2026* को जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल *09 अभियुक्तों को गिरफ्तार* किया गया।

➡ ☐ मा० न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा कुल *09 NBW वारंटियों* को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार NBW वारंटी अभियुक्तों में थाना *मुबारकपुर, जहानागंज, कप्तानगंज, अतरौलिया व थाना बरदह* क्षेत्र से संबंधित अभियुक्त शामिल हैं।

जनपद पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारंटों के शत-प्रतिशत अनुपालन एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान निरंतर जारी है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध *जीरो टॉलरेंस की नीति* के तहत प्रभावी एवं नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

☐ आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अभियान लगातार जारी रहेगा।